



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-121

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268947 दिनांक 27/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Chandrakala Ranka W/o PUKH RAJ RANKA	श्री पुखराज रांका पुत्र किशनलाल रांका	85	305.74 SQ. YARD	Cooperative	ANAND VIHAR Sector/Block-C	Name Transfer	दी रेल्वेमैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आनन्द विहार के भूखण्ड संख्या सी-85 क्षेत्रफल 305.74 व.मी. की लीजडीड दिनांक 07.06.1994 को श्री पुखराज रांका पुत्र किशनलाल रांका के नाम से जारी किया गया है। तपश्चात् दिनांक 16.06.2025 को उक्त भूखण्ड का अनरजिस्टर्ड विल पुखराज रांका द्वारा पत्नी चन्द्रकला रांका के पक्ष में किया गया है। दिनांक 24.10.2025 के मूल भूखण्ड स्वामी श्री पुखराज रांका का निधन हो गया है। मूल भूखण्ड स्वामी के मृत्यु पश्चात वारिसान निम्नानुसार है:- पत्नी चन्द्रकला रांका, पुत्रियां संगीता जैन, सुनिता गोथी, सिम्मी चौधरी, निधि बाठिया, पुत्र नितिन रांका। आवेदिका चन्द्रकला रांका द्वारा नाम हस्तारण हेतु आवेदन किया गया है।
---	--------------------------------------	---------------------------------------	----	-----------------	-------------	----------------------------	---------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Chandrakala Ranka W/o PUKH RAJ RANKA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |